# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 86 / 19 तारीख रजूः— 31.7.2019

पीठासीन अधिकारीः— दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

**उनवान**

भगवती लाल पुत्र कन्हैया लाल मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम जिला करौली

वादी

**बनाम**

1. चिरंजीलाल पि. कन्हैया
2. शिम्भूदयाल पि0 कन्हैया
3. रामेश्वर पि0 कन्हैया
4. नत्थी पबत्न स्व. गोकल
5. राजेन्द्र पि. गोकलराम
6. बिजेन्द्र पि. गोकलराम
7. सरला पुत्री गोकलराम
8. पिंकी पुत्री गोकलराम
9. रामसुखी पुत्री कन्हैया
10. दिल्लो पुत्री कन्हैया
11. रूकमणी पुत्री कन्हैया
   समस्त जाति मीना निवासीयान नोबिस्वा टोडाभीम जिला करौली।
12. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

**उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी**
**श्री लखन लाल मीना एडवोकेट प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः— 21.10.19

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

टोडाभीम 9 बिस्वा आराजी ख0न0 6219 / 0.17, 6220 / 0.10, 6222 / 0.42 कुल किता 3 कुल रकवा 0.69 है0 6223 / 0.38, 6224 / 0.39, 6225 / 0.04, 6233 / 0.60, 7132 / 0.27, 7133 / 0.22, 7134 / 0.28, 7139 / 0.33, 7140 / 0.45, कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे वादी बहिस्सा 3 / 16, प्रतिवादी 1 ता 3 प्रत्येक बहिस्सा 3 / 16, प्रतिवादी न0 4 ता 8 बहिस्सा 3 / 16, प्रतिवादी न0 9 ता 11 प्रत्येक बहिस्सा1 / 48 के खातेदार काश्तकार है। जस्सी देवी पत्नि कन्हैया फौत हो चुकी है, जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 11 है तथा गोकलराम फौत हो चका है। उसके वारिसान प्रतिवादी न0 4 ता 8 है। जिनमे कब्जे काश्त के हिस्से के घरू बटवारा हो रहा है एवं पक्षकार अपने—अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी का विधिवत बटवारा करवाना चाहते है। बॉका दिनांक 26.7.19 को प्रतिवादीगण को तहसील मे चलकर बटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने तहसील मे चलने से मना कर दिया। इस कारण दावा पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 6219 / 0.17, 6220 / 0.10, 6222 / 0.42 कुल किता 3 कुल रकवा 0.69 है0 6223 / 0.38, 6224 / 0.39, 6225 / 0.04, 6233 / 0.60, 7132 / 0.27, 7133 / 0.22, 7134 / 0.28, 7139 / 0.33, 7140 / 0.45, कुल किता 9 कुल रकवा 2.96 है0 मे वादी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

बहिस्सा 3/16, प्रतिवादी 1 ता 3 प्रत्येक बहिस्सा 3/16, प्रतिवादी न0 4 ता 8 बहिस्सा 3/16, प्रतिवादी न0 9 ता 11 प्रत्येक बहिस्सा1/48 के खातेदार काश्तकार है के बावत मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौके व हिस्सेनुसार बटवारा स्कीम तलब फरमायी जावे तथा बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री पारित फरमाई जाकर अलग–अलग खातेदारी कायम की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रवितादी गण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 व 12 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1,2,व 4 ता 11 की और से श्री लखन लाल मीना एडवोकेट उपस्थित हुए। जबाब दावा पेश नही करते हुए वादी का दावा बाबत तकास्मा प्राथमिक डिक्री कर समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खाता कायम कराने का कथन किया। वादी वकील ने भी वादी एवं समस्त प्रवितादीगण की जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अलग–अलग खाता कायम कराने का कथन किया।

वकील उभपक्ष की बहस को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 407 व 408 मे वादी एंव प्रवितादीगण सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता कायम कराने हेतुदावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। दावा फाईनल डिक्री किये जाने के योग्य होने से फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः वादी भगवतीलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना सा.देह को टोडाभीम 9 बिस्वा स्थित आराजी ख.न. 6219 रकवा 0.17, 6220 रकवा 0.10, 6222/1 रकवा 0.07, 7132 रकवा 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी चिरंजीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना सा.देह. को आराजी ख0न0 6224 रकवा 0.39, 6225 रकवा 0.04, 7133/2 रकवा 0.03 है0 का प्रतिवादी शिम्भूदयाल पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना सा.देह को ख0न0 6223 रकवा 0.38, 7133 रकवा 0.08, प्रतिवादी नत्थी पत्नि गोकल, राजेन्द्र, बिजेन्द्र पि. गोकल, सरला, पिंकी पुत्रिया गोकल हिस्सा बराबर जाति मीना सा.देह को ख0न0 6222 रकवा 0.35, 7134/1 रकवा 0.11 है0 का तथा प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र कन्हैया, रामसुखी, दिल्लो, रूकमणी पुत्रिया कन्हैया हि.ब. जाति मीना सा.देह को ख0न0 6233 रकवा 0.60, 7139 रकवा 0.33, 7140 रकवा 0.45, 7133/1 रकवा 0.11, 7134 रकवा 0.17, 7132/1 रकवा 0.16 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। बैक रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस, सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमद मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

21/10/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)